"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325] रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 जून 2021 — ज्येष्ठ 24, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2020

अधिसूचना

वीडियो कान्फ्रेंसिंग नियम

प्रस्तावना

क्रमांक 5785/नियम/2020. — जहां यह न्यायालयों के लिये वीडियो कान्फ्रेंसिंग के उपयोग से संबंधित प्रक्रिया को समेकित, एकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए समीचीन है; और

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निम्नलिखित नियम बनाता है।

अध्याय-1-प्रारंभिक

1. इन नियमों को "छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालयों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग नियम" कहा जायेगा।

i) ये नियम ऐसे न्यायालयों या कार्यवाहियों या न्यायालयों के वर्गों या कार्यवाहियों को उस दिनांक से लागू होंगे जिस दिनांक को उच्च न्यायालय इस बाबत् अधिसूचना जारी करेगा।

2. **परिभाषाएं :-**

इन नियमों में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

i) "अधिवक्ता" का अर्थ है और इसमें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत संधारित किसी नामावली में प्रविष्ट एक अधिवक्ता शामिल है और इसमें शासकीय अभिभाषक/अधिवक्तागण और अभियोजन विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।

ii) "आयुक्त" का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी अन्य प्रचलित विधि के प्रावधानों के तहत आयुक्त नियुक्त किया गया हो।

iii) "समन्वयक" का अर्थ नियम-5 के अधीन नामांकित कोई व्यक्ति

iv) "न्यायालय" में एक भौतिक न्यायालय और एक आभासी न्यायालय या अधिकरण शामिल हैं।

v) "न्यायालय स्थल" का अर्थ न्यायालय कक्ष या एक या अधिक ऐसे स्थान जहां न्यायालय भौतिक रूप से संचालित होता है या वह स्थान जहां एक आयुक्त या जांच अधिकारी न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही संचालित करता है।

vi) "कोर्ट यूजर" का अर्थ न्यायालय स्थल पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयीन कार्यवाहियों में भाग लेने वाला एक उपयोगकर्ता है।

vii) "डेजिग्नेटेड (नामनिर्दिष्ट) वीडियो कान्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर" का अर्थ वीडियो कान्फ्रेंसिंग संचालित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराये जाने वाले सॉफ्टवेयर से है।

viii) "अपवादिक परिस्थितियों" में उदाहरण के तौर पर एक महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, कानून और व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों तथा अभियुक्त और गवाहों की सुरक्षा से संबंधित विषय शामिल हैं।

ix) "लाइव लिंक" का अर्थ है और इसमें एक लाइव टेलिविजन लिंक, ऑडियो–वीडियो (दृश्य–श्रव्य) इलेक्ट्रानिक साधन या अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं जिनके द्वारा एक गवाह, एक आवश्यक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने हेतु अनुमति दी गयी है जबकि वह न्यायालय कक्ष से शारीरिक रूप से अनुपस्थित है फिर भी साक्ष्य देने या प्रतिपरीक्षण के लिए तकनीक का उपयोग करते हुए दूरवर्ती संचार के माध्यम से न्यायालय कक्ष में आभासी रूप से उपस्थित है।

x) "दूरवर्ती स्थल" ऐसा स्थान है जहां कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को एक विडियो लिंक के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।

xi) "रिमोट यूजर" (दूरवर्ती उपयोगकर्ता) का अर्थ दूरवर्ती स्थल पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयीन कार्यवाही में भाग लेने वाला उपयोगकर्ता है।

xii) "आवश्यक व्यक्ति" में शामिल हैं

अ) ऐसा व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जाना है, अथवा

ब) ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति में कुछ कार्यवाहियां अभिलिखित या संचालित की जाती है, अथवा

स) एक अधिवक्ता या पक्षकार स्वयं जो एक गवाह का परीक्षण करना चाहता है, अथवा

द) कोई व्यक्ति जिसे न्यायालय के समक्ष निवेदन करना आवश्यक है, अथवा

इ) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे न्यायालय ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का अनुमति दिया हो।

xiii) "नियमों" का अर्थ न्यायालयों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के इन नियमों से होगा और किसी नियम, उपनियम अथवा अनुसूची के संदर्भ में इन नियमों का एक नियम, उपनियम या अनुसूची का संदर्भ होगा।

अध्याय – 2
सामान्य सिद्धांत

3. वीडियो कान्फ्रेंसिंग संचालित करने वाले समान्य सिद्धांत

i) वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग न्यायिक कार्यवाहियों के सभी चरणों और न्यायालय द्वारा संचालित सभी कार्यवाहियों तथा समस्त न्यायिक कार्यवाहियों अर्थात – लोक अदालत, मध्यस्थता इत्यादि में किया जा सकता है।

ii) वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय द्वारा संचालित समस्त कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होंगी और एक भौतिक न्यायालय को लागू समस्त शिष्टाचार और प्रोटोकॉल इन आभासी कार्यवाहियों को लागू होंगे। अनुसूची–I में दिया गया प्रोटोकॉल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित होने वाले कार्यवाहियों के लिए होगा।

iii) न्यायिक कार्यवाहियों के लिए लागू सभी सुसंगत वैधानिक प्रावधान जिनमें व्यवहार प्रक्रिया संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, (एतद्पश्चात् साक्ष्य अधिनियम) और सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 (एतद्पश्चात् आई0 टी0 एक्ट) के प्रावधान वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा संचालित कार्यवाहियों को लागू होंगे।

iv) न्यायिक कार्यवाहियों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाये रखते हुए तथा ऐसे

निर्देशों के अधीन जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये जाएं, न्यायालय ऐसी उन्नत तकनीक अपना सकेंगे जो समय–समय पर उपलब्ध हों।

v) न्यायालय को लागू होने वाले ये नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त को साक्ष्य अभिलिखित करने में और एक जांच अधिकारी को जांच करने में लागू होंगे।

vi) किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कार्यवाहियों की अनाधिकृत रिकार्डिंग नही की जायेगी।

vii) नियम–2(xii) में परिभाषित व्यक्ति भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान प्रमाण पत्र न्यायालय स्थल समन्वयक को उसके निजी ई–मेल पर उपलब्ध कराएगा। यदि पहचान प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करेगाः नाम, पितृत्व और स्थायी पता, अस्थायी पता भी, यदि कोई हो तो।

4. वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए अनुसंशित सुविधाएं

न्यायालय स्थल और दूरवर्ती स्थल पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा कार्यवाही संचालित करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों की अनुशंसा की जाती है।

i) डेस्कटॉप, लैपटॉप, इन्टरनेट कनेक्टिविटी सहित मोबाईल डिवाइस और वाई–फाई प्रिंटर

ii) निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला उपकरण

iii) कैमरा

iv) माइक्रोफोन, स्पीकर

v) डिस्प्ले यूनिट

vi) दस्तावेज विजुअलाईजर

vii) एक फायरवॉल का प्रावधान

viii) गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त बैठक व्यवस्था

ix) पर्याप्त प्रकाश

x) शान्त और सुरक्षित स्थान की उपलब्धता

5. प्रारंभिक व्यवस्था

5.1 न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल जहां से किसी व्यक्ति का परीक्षण या सुनवाई किया जाना है, दोंनो स्थानों पर एक समन्वयक होगा। हांलाकि, समन्वयक की आवश्यकता दूरस्थ स्थल पर तभी हो सकेगी जब किसी गवाह या किसी अपराध के अभियुक्त का परीक्षण किया जाना हो।

5.2 जिला न्यायालय के दायरे में आने वाले व्यवहार और अपराधिक न्यायालयों में उच्च न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संबंधित जिला न्यायाधीश या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी न्यायालय स्थल के साथ–साथ दूरस्थ स्थल पर भी समन्वयक के कार्यों का निष्पादन करेंगे, जैसाकि नियम 5.3 में उपबन्धित है।

5.3 दूरवर्ती स्थल पर निम्नलिखित में से कोई भी समन्वयक हो सकेगा।

उप–नियम	जहांकि अधिवक्ता या आवश्यक व्यक्ति निम्नलिखित दूरस्थ स्थल पर है	दूरस्थ स्थल समन्वयक होगा
5.3.1	विदेश	भारतीय वाणिज्य दूतावास/सुसंगत भारतीय दूतावास/सुसंगत भारतीय उच्चायोग का कोई अधिकारी
5.3.2	भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी अन्य राज्य और राज्य के भीतर या केन्द्रशासित प्रदेश का न्यायालय	संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा नामित कोई अधिकृत अधिकारी
5.3.3	मध्यस्थता केन्द्र या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय (तालुका विधिक सेवा समिति सहित)	संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा नामित कोई व्यक्ति
5.3.4	जेल या कैद	संबंधित जेल अधीक्षक या जेल का भारसाधक अधिकारी
5.3.5	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या स्थानीय निकाय द्वारा शासित अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या उस अस्पताल का भारसाधक व्यक्ति
5.3.6	अवलोकन गृह, विशेष गृह, बच्चों का घर, आश्रय गृह या बाल सुविधा के रूप में संदर्भित कोई संस्था(सामूहिक रूप से बाल सुविधाओं के रूप में संदर्भित) और जहां आवश्यक व्यक्ति एक किशोर या एक बच्चा या एक व्यक्ति जो ऐसी बाल सुविधा का निवासी हो	उस बाल सुविधा का अधीक्षक या भारसाधक अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी
5.3.7	महिला बचाव गृह, संरक्षण गृह, आश्रय गृह, नारी	महिलाओं की सुविधा का अधीक्षक या वहां का भारसाधक

	निकेतन या महिलाओं की सुविधा के रूप में संदर्भित कोई संस्था(सामूहिक रूप से महिलाओं की सुविधाओं के रूप में संदर्भित)	अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी
5.3.8	किसी अन्य शासकीय कार्यालय, संगठन या संस्थान के संरक्षण, देखभाल या रोजगार में (सामूहिक रूप से संस्थागत सुविधाओं के रूप में संदर्भित)	संस्थागत सुविधा का अधीक्षक या वहां का भारसाधक अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी
5.3.9	अपराधिक अनुसंधान प्रयोगशाला	भारसाधक प्रशासनिक अधिकारी या उनके द्वारा नामित व्यक्ति
5.3.10	किसी अन्य स्थान के मामले में	संबंधित न्यायालय किसी भी व्यक्ति को जिसे वह उपयुक्त और उचित समझता है और जो इस हेतु न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाहियों का उचित, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संचालित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए समन्वयक के रूप में अपनी सेवाएं देने हेतु तैयार और सहमत हो, नियुक्त कर सकता है।
5.3.11	एन0 आई0 सी0 केन्द्र की दशा में	एन0 आई0 सी0 केन्द्र का संबंधित जिला सूचना अधिकारी या एन0 आई0 सी0 केन्द्र का भारसाधक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उपयुक्त और उचित समझता है और जो इस बाबत् न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाहियों का उचित, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र तरीके से संचालित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए समन्वयक के रूप में अपनी सेवायें देने हेतु तैयार और सहमत हो, नियुक्त कर सकता है

5.4 जब आवश्यक व्यक्ति उपनियम 5.3 में दर्शित किसी दूरस्थ स्थल पर है और इनमें से किसी स्थान पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित न्यायालय उस जिला न्यायाधीश को जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा दूरस्थ स्थल स्थित है, एक समन्वयक नियुक्त करने और निकटस्थ तथा उपयुक्त न्यायालय परिसर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने हेतु औपचारिक रूप से अनुरोध करेगा।

5.5 न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल दोनों पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगें कि नियम–4 में निर्धारित अनुशंसित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है ताकि कार्यवाहियां निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

5.6 दूरस्थ स्थल पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि:

5.6.1 किसी विशेष कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए अनुसूची में शामिल समस्त अधिवक्ता और/या आवश्यक व्यक्ति निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए नामित दूरस्थ स्थल पर तैयार हैं।

5.6.2 कोई अनाधिकृत रिकार्डिंग डिवाइस का उपयोग नहीं किया जाता है

5.6.3 जब वीडियो कान्फ्रेंसिंग जारी है, तो कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति वीडियो कान्फ्रेंस रूम में प्रवेश नही करता है।

5.6.4 जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है, उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से बताया, सिखाया, फुसलाया, उकसाया या धमकाया नही जाता है और जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है वह किसी भी दस्तावेज, लेख या उपकरण का उपयोग परीक्षण के दौरान संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं करता है।

5.7 जहां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किये जाने वाले साक्षी को आवश्यक है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग की अनुसूची निर्धारित करते हुए पर्याप्त अग्रिम नोटिस देगा और उचित मामलों में कार्यवाही के अभिलेख के सभी या किसी भाग का गैर–संशोधनीय डिजिटल स्कैन्ड प्रति उस समन्वयक के आधिकारिक ई–मेल अकाउंट में भेज सकेगा जिसे नियम–5.3 के अनुसार संबंधित दूरस्थ स्थल पर नाम निर्दिष्ट किया गया है।

5.8 निर्धारित वीडियो कान्फ्रेंसिंग की तारीख से पहले कोर्ट स्थल पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्थ स्थल पर समन्वयक को कार्यवाहियों के अभिलेख के सभी या किसी भाग की सत्यापित प्रतियां, प्रिंटआउट या गैर संशोधनीय स्कैन्ड प्रति की साफ्ट कॉपी जिनकी कथन या साक्ष्य अभिलिखित करने या संदर्भ के लिए आवश्यकता है, प्राप्त हो चुकी है। हांलाकि, इन्हें आवश्यक व्यक्ति द्वारा केवल न्यायालय की अनुमति से ही उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

5.9 जब भी आवश्यक हो न्यायालय दूरस्थ स्थल पर या न्यायालय स्थल पर समन्वयक को उपलब्ध

कराने हेतु आदेशित करेगा:–

5.9.1 जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जाना है वह यदि न्यायालय के कार्यालयीन भाषा से अवगत ना हो, ऐसे मामले में एक अनुवादक।

5.9.2 जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जाना है वह यदि बोलने और/या सुनने में अक्षम हो, तो ऐसे मामलों में सांकेतिक भाषा का विशेषज्ञ।

5.9.3 एक व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जाना है वह यदि स्थायी या अस्थायी रूप से दिव्यांग है, तो ऐसे मामले में एक दुभाषिया या एक विशेष शिक्षक, जैसा कि मामला हो।

अध्याय – 3
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए प्रक्रिया

6. वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति, साक्ष्य और निवेदन के लिए आवेदन

6.1 कार्यवाही को कोई पक्षकार या साक्षी, जहां कि कार्यवाही न्यायालय के निर्देश पर प्रारंभ की गयी है के सिवाय, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध कर सकेगा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्यवाही चाहने वाला एक पक्षकार या साक्षी अनुसूची–2 में विहित प्रपत्र में ऐसा निवेदन करेगा।

6.2 वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए निवेदन किये जाने के प्रस्ताव की चर्चा, जहां संभव न हो या अनुचित हो के सिवाय उदाहरण के लिए ऐसे मामलों में जैसे कि अत्यावश्यक आवेदन, सबसे पहले कार्यवाही के अन्य पक्षकार या पक्षकारों से की जानी चाहिए।

6.3 ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर और सर्वसंबंधित व्यक्तियों को सुनकर न्यायालय यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि ऐसा आवेदन निष्पक्ष विचारण में बाधा डालने या कार्यवाही में देरी करने के आशय से प्रस्तुत नही किया गया है, उचित आदेश पारित करेगा।

6.4 वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध स्वीकार करते समय, न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित करने के लिए कार्यक्रम भी तय कर सकेगा।

6.5 यदि वीडियो कान्फ्रेंसिंग मौखिक निवेदन के लिए आयोजित किया जाता है, तो आदेशों में

अधिवक्ता या पक्षकार स्वयं से लिखित बहस और दृष्टांत, यदि कोई हों, संबंधित न्यायालय के अधिकारिक ई–मेल आई0 डी0 पर अग्रिम रूप से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

6.6 यदि व्यय के भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है, तो वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही आयोजित किये जाने का आदेश प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के भीतर जमा किया जायेगा।

7. समन की तामिली

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किये जाने वाले साक्षी को जारी किये जाने वाले समन में दिनांक समय और संबंधित दूरस्थ स्थल के स्थान का उल्लेख होगा और साक्षी को इस आशय के पहचान का प्रमाण पत्र या एक शपथ पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जायेगा। समन की तामिली और गैर हाजिरी के परिणाम से संबंधित विद्यमान नियम जैसाकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में विहित है, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाले कार्यवाहियों के लिए समन की तामिली को लागू होंगे।

8. व्यक्तियों का परीक्षण

8.1 कोई व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जाना है, जिसमें एक साक्षी भी शामिल है, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किये जाने के पूर्व पहचान के सबूत के रूप में भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा जारी या विधिवत मान्यता प्राप्त दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज की अनुपस्थिति में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 139 या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 297, जैसा कि मामला हो, में संदर्भित प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित करेगा। शपथ पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी उल्लेख करना होगा कि जिसे कार्यवाही के पक्षकार या एक साक्षी के रूप में दर्शाया गया है वही व्यक्ति है जिसे आभासी सुनवाई में कथन करना है। पहचान का प्रमाण या शपथ पत्र की एक प्रति, जैसा कि मामला हो, विरोधी पक्षकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

8.2 जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जाना है उसका परीक्षण सामान्यतया संबंधित न्यायालय के काम–काज के समय या ऐसे समय पर जैसा कि न्यायालय उचित समझे, किया जायेगा। न्यायालय स्थल पर

समन्वयक द्वारा परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाया जायेगा।

8.3 जहां वह व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जाना है या अभियुक्त जिसका विचारण किया जाना है वह अभिरक्षा में है तो कथन या जैसा भी मामला हो, गवाही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी। न्यायालय विचाराधीन कैदी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के पहले, के दौरान या उसके बाद अपने अधिवक्ता से गोपनीय रूप से परामर्श करने का पर्याप्त अवसर देगा।

8.4 साक्ष्य अधिनियम में साक्षियों के परीक्षण के लिए दिये गये प्रावधानों के अधीन, साक्षी के परीक्षण से पहले, ऐसे दस्तावेज, जिनका अवलम्ब लिया जाना है, यदि कोई हो, आवेदक द्वारा गवाह को प्रेषित किया जाएगा ताकि गवाह उक्त दस्तावेजों से परिचित हो सके। आवेदक इस संबंध में न्यायालय के समक्ष अभिस्वीकृति प्रस्तुत करेगा।

8.5 यदि एक व्यक्ति का परीक्षण किसी विशेष दस्तावेज के संबंध में किया जाना है तो गवाह को जारी समन के साथ दस्तावेज की विधिवत प्रमाणित छायाप्रति होनी चाहिए। मूल दस्तावेज न्यायालय स्थल पर परीक्षण किये जाने वाले संबंधित व्यक्ति के अभिकथन के अनुसार प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

8.6 न्यायालय परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति के आचरण को अभिलिखित करने स्वतंत्र होगा।

8.7 न्यायालय परीक्षण किये जा रहे व्यक्ति के अभिकथन के दौरान उठायी गयी आपत्तियों पर विचार करेगा और उनका निराकरण करेगा।

8.8 न्यायालय परीक्षण समाप्त होने पर परीक्षण किये जा रहे व्यक्ति के प्रतिलेख पर उसका हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। हस्ताक्षरित प्रतिलेख न्यायिक कार्यवाहियों के अभिलेख का हिस्सा होगा। परीक्षण किये जा रहे व्यक्ति के प्रतिलेख पर उसका हस्ताक्षर निम्नलिखित रीति में से किसी एक रीति से प्राप्त किया जायेगाः–

8.8.1 यदि संबंधित न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल दोंनो पर डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध हैं, तो न्यायालय स्थल पर पीठासीन न्यायाधीश का डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलेख की सॉफ्ट प्रति दूरस्थ स्थल के आधिकारिक ई–मेल पर भेजा जायेगा जहां उसका एक प्रिंटआउट लिया जायेगा

और उस पर परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर लिया जायेगा। दूरस्थ स्थल पर समन्वयक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलेख की स्कैन्ड प्रति कोर्ट स्थल के आधिकारिक ई–मेल पर भेजा जायेगा। साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत, अधिमानतः 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर युक्त प्रतिलेख की हार्ड प्रति दूरस्थ स्थल पर समन्वयक के द्वारा न्यायालय स्थल को मान्यता प्राप्त कुरियर या पंजीकृत स्पीड–पोस्ट के माध्यम से भेजी जायेगी।

8.8.2 यदि डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है, तो न्यायालय स्थल पर पीठासीन न्यायाधीश और पक्षकारों के प्रतिनिधि, यदि कोई हों, द्वारा प्रतिलेख के प्रिंटआउट पर हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे गैर–संशोधनीय स्कैन्ड प्रारूप में दूरस्थ स्थल के आधिकारिक ई–मेल अकाउंट में भेजा जायेगा जहां उसका प्रिंटआउट लिया जायेगा और परीक्षण किये जा रहे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और दूरस्थ स्थल पर समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। ऐसे हस्ताक्षर युक्त प्रतिलेख को गैर–संशोधनीय स्कैन्ड प्रारूप में दूरस्थ स्थल के समन्वयक द्वारा न्यायालय स्थल के आधिकारिक ई–मेल अकाउंट में भेजा जायेगा जहां उसका प्रिंटआउट लिया जायेगा और उसे न्यायिक अभिलेख का हिस्सा बनाया जायेगा। इसकी हार्ड प्रति भी, अधिमानतः 3 दिन के भीतर दूरस्थ स्थल के समन्वयक द्वारा मान्यता प्राप्त कुरियर या पंजीकृत स्पीड–पोस्ट द्वारा न्यायालय स्थल को भेजा जायेगा।

8.9 परीक्षित व्यक्ति के परीक्षण का दृश्य–श्रव्य रिकार्डिंग संरक्षित किया जायेगा। हैस वेल्यू के साथ एक इन्क्रीप्टेड मास्टर कॉपी को रिकार्ड के एक भाग के रूप में रखा जाएगा।

8.10 न्यायालय, परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर या स्वयं, परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण किये गये व्यक्ति की गोपनीयता को संरक्षित करने के लिए उसकी उम्र, लिंग, शारीरिक अवस्था और मान्यता प्राप्त रीति–रिवाजों जैसे–बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, समुचित उपाय करने का निर्देश दे सकता है।

8.11 दूरस्थ स्थल पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जिनकी उपस्थिति को समन्वयक कार्यवाहियों के संचालन हेतु प्रशासकीय रूप से आवश्यक

समझता है, के सिवाय और उनके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति दूरस्थ स्थल पर उपस्थित नहीं है।

8.12 न्यायालय ऐसी अन्य शर्तें भी लगा सकता है जो परीक्षण के प्रभावी रिकार्डिंग के लिये दिये गये तथ्यों में (विशेष रूप से नियम 5.6.4 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए) आवश्यक हैं।

8.13 यह परीक्षण, जहां तक सम्भव हो, बिना किसी रूकावट या अनावश्यक स्थगन दिये जारी रहेगा। तथापि, न्यायालय या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि क्या स्थगन दिया जाना चाहिए, और यदि ऐसा है, तो किन शर्तों पर।

8.14 न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति का परीक्षण करते समय व्यवहार प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता अध्याय–23, भाग–ख, साक्ष्य अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों से निर्देशित होगा।

8.15 जहां एक आवश्यक व्यक्ति बीमारी या शारीरिक दुर्बलता के कारण न्यायालय स्थल या दूरस्थ स्थल पर पहुंचने में सक्षम नहीं है या आवश्यक व्यक्ति की उपस्थिति अनुचित देरी या खर्चे के बिना सुनिश्चित नहीं की जा सकती, न्यायालय उस स्थान से वीडियो कान्फ्रेंसिंग संचालित करने के लिए अधिकृत कर सकेगा जहां ऐसा व्यक्ति रहता है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय पोर्टेबल वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम के उपयोग का निर्देश दे सकता है। इस संबंध में संबंधित समन्वयक और/या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे न्यायालय उपयुक्त समझता है, अधिकृत कर सकता है।

8.16 ऐसे आदेशों के अधीन जिन्हें न्यायालय पारित कर सकता है, यदि कोई पक्षकार या पक्षकार द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति परिसाक्ष्य रिकार्डिंग करते समय दूरस्थ स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने का इच्छुक है, तो ऐसा पक्षकार दूरस्थ स्थल पर अपनी उपस्थिति/प्रस्तुति की व्यवस्था स्वयं करेगा।

9. दूरस्थ स्थल पर साक्षी या अभियुक्त को दस्तावेजों का प्रदर्शन/दिखाया जानाः–

दूरस्थ स्थल पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति के परीक्षण के दौरान उस व्यक्ति को दस्तावेज का दिखाया जाना आवश्यक है, न्यायालय निम्नलिखित तरीके से दस्तावेज दिखाये जाने की अनुमति प्रदान कर सकता हैः–

9.1 यदि दस्तावेज न्यायालय स्थल पर है, तो ऐसे दस्तावेज की प्रति या छवि इलेक्ट्रानिक रूप से जिसमें दस्तावेज विजुअलाइजर के माध्यम से भी शामिल है, न्यायालय स्थल पर प्रेषित कर; अथवा

9.2 यदि दस्तावेज दूरस्थ स्थल पर है, तो उसे उस व्यक्ति के समक्ष रखकर और उसकी एक प्रति/छवि इलेक्ट्रानिक रूप से जिसमें दस्तावेज विजुअलाईजर के माध्यम से भी शामिल है, न्यायालय स्थल पर भेजकर। तत्पश्चात् दूरस्थ स्थल पर साक्षी और समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दस्तावेज की हार्डप्रति अधिकृत कुरियर/स्पीड पोस्ट के माध्यम से न्यायालय स्थल को भेजी जाएगी।

10. निर्बाध वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुनिश्चित किया जाना

10.1 अधिवक्ता या आवश्यक व्यक्ति निर्धारित दूरस्थ स्थल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय द्वारा जारी आदेश में दिये गये तिथि और समय पर न्यायालय को संबोधित करेंगें। जहां एक अधिवक्ता या पक्षकार स्वयं द्वारा न्यायालय के समक्ष बहस किया जाना है वहां दूरस्थ स्थल पर समन्वयक की उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी।

10.2 यदि कार्यवाहियां दूरस्थ स्थल (स्थलों) में से किसी से भी की जाती है (नियम 5.3.1 से 5.3.9 में वर्णित परिस्थितियों में), तो ऐसे दूरस्थ स्थल पर समन्वयक सभी तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। तथापि, यदि कार्यवाही नियम 5.3.10 के तहत् आने वाली परिस्थिति में दूरस्थ स्थल से संचालित किया जाता है, जैसे कि एक अधिवक्ता का ऑफिस, तो न्यायालय स्थल पर समन्वयक, न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल दोनों स्थानों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग संचालन के लिए समस्त तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

10.3 न्यायालय स्थल पर समन्वयक संबंधित अधिवक्ता या आवश्यक व्यक्ति के संपर्क में रहेगा और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए तकनीकी और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में उनका मार्गदर्शन करेगा। ऐसे दूरस्थ उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाले समस्याओं का समाधान न्यायालय स्थल समन्वयक द्वारा किया जायेगा। न्यायालय स्थल समन्वयक अन्य बातों के साथ–साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुनवाई का लिंक भी ऐसे दूरस्थ उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करेगा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग–आई0 डी0, पासवर्ड का साझा किया जाना और स्थानांतरित किया

जाना सख्त वर्जित है।

10.4 न्यायालय स्थल पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्थ उपयोगकर्ता द्वारा ई–मेल किया गया कोई दस्तावेज या दृश्य–श्रव्य फाईल न्यायालय स्थल पर विधिवत प्राप्त हों।

10.5 न्यायालय स्थल पर समन्वयक एक वीडियो कान्फ्रेंसिंग ट्रायल आयोजित करेगा जो कि निर्धारित वीडियो कान्फ्रेंसिंग से 30 मिनट पहले किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल दोनों पर सभी तकनीकी सिस्टम कार्यशील दशा में हैं।

10.6 न्यायालय स्थल पर समन्वयक निर्धारित समय पर दूरस्थ उपयोगकर्ता को न्यायालय से जोड़ेगा।

10.7 वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्यवाही पूर्ण होने पर न्यायालय आदेश पत्रिका में कार्यवाही का समय और अवधि, उपयोग किया गया साफ्टवेयर (यदि उपयोग किया गया साफ्टवेयर नामित वीडियो कान्फ्रेंसिंग साफ्टवेयर नही है), वाद विषय जिन पर न्यायालय को सम्बोधित किया गया और दस्तावेज जिन्हें प्रस्तुत किया गया और ऑनलाइन प्रेषित किया गया, यदि कोई हों, का उल्लेख करेगा। यदि डिजिटल रिकार्डिंग प्रस्तावित है, तो न्यायालय अन्य सभी आवश्यक विवरणों के साथ आदेश पत्र में इसकी अवधि भी अभिलिखित करेगा।

10.8 न्यायालय उपयोगकर्ता और दूरस्थ उपयोगकर्ता दोंनो के लिए स्पष्टता, ध्वनि और कनेक्टीविटी के संबंध में न्यायालय अपनी संतुष्टि भी अभिलिखित करेगा।

10.9 वीडियो कान्फ्रेंसिंग पूर्ण होने पर यदि एक दूरस्थ उपयोगकर्ता का विचार है कि खराब वीडियो और/या ऑडियो गुणवत्ता के कारण उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो दूरस्थ उपयोगकर्ता तत्काल इसकी सूचना न्यायालय स्थल पर समन्वयक को देगा, जो अविलम्ब इसकी सूचना न्यायालय को देगा। न्यायालय शिकायत पर विचार करेगा और यदि इस शिकायत में कोई सार (तथ्य) पाता है तो सुनवाई को अपूर्ण घोषित कर सकता है और पक्षकारों को पुनः कनेक्ट होने या न्यायालय में भौतिक रूप से उपस्थित होने के लिए कह सकता है। दूसरी ओर यदि संबंधित न्यायालय यह पाता है कि कुछ आवश्यक (महत्वपूर्ण) साक्ष्य अभिलिखित (रिकार्डिंग) किया जा चुका है तो वह स्वविवेक से शिकायत को अस्वीकार कर सकता है।

11. न्यायिक रिमांड, आरोप तय करना, अभियुक्त का परीक्षण और धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् कार्यवाही:–

11.1 न्यायालय स्वविवेक से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपराधिक विचारण में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन एक अभियुक्त को निरूद्ध करने अधिकृत कर सकता है, आरोप तय कर सकता है। हांलाकि, सामान्य रूप से प्रथम बार में न्यायिक रिमांड या पुलिस रिमांड वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से असाधारण परिस्थितियों में लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों के सिवाय और उनको छोड़कर, स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

11.2 न्यायालय, असाधारण परिस्थितियों में, लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत् एक गवाह या एक अभियुक्त का परीक्षण कर सकता है या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत् अभियुक्त का कथन अभिलिखित कर सकता है, ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि गवाह या अभियुक्त, जैसी भी स्थिति हो, किसी भी प्रकार के प्रपीड़न, धमकी या अनुचित प्रभाव से मुक्त हैं, समस्त सावधानियां बरतेगा। न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

तथापि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसा परीक्षण निकटस्थ न्यायालय परिसर पर स्थापित वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग करते हुए आयोजित किया जायेगा।

अध्याय – 4
सामान्य प्रक्रिया

12. सामान्य प्रक्रियाएं

12.1 इस अध्याय में इसके पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया, इन नियमों में अन्यत्र इंगित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है जिनमें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही आयोजित करने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

12.2 न्यायालय स्थल पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग केवल नाम निर्दिष्ट वीडियो कान्फ्रेंसिंग साफ्टवेयर के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। हांलाकि, किसी दिये गये

कार्यवाही के दौरान तकनीकी खराबी आने पर संबंधित न्यायालय ऐसे कारणों का उल्लेख करते हुए, उस विशिष्ट कार्यवाही में वीडियो कान्फ्रेंसिंग साफ्टवेयर के अलावा किसी अन्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग साफ्टवेयर के उपयोग की अनुमति दे सकता है।

12.3 परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि न्यायालय द्वारा साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय नियम 8.1 के अनुसार दूरस्थ स्थल पर समन्वयक की सहायता से की जायेगी और उसका उल्लेख न्यायालय के आदेश पत्र में किया जावेगा।

12.4 सिविल मामलों में, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किये जाने वाले व्यक्ति का कथन दर्ज करने का अनुरोध करने वाला पक्षकार न्यायालय को उस व्यक्ति के स्थान, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किये जाने के लिए ऐसे व्यक्ति की इच्छा तथा सहमत समय और स्थान पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि करेगा। पक्षकारों के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग के समय और स्थान के संबंध में असहमति होने पर इसका निर्धारण संबंधित न्यायालय करेगा।

12.5 अपराधिक मामलों में जहां कि परीक्षण किया जाने वाला व्यक्ति एक अभियोजन साक्षी या एक न्यायालयीन साक्षी या जहां परीक्षण किया जाने वाला व्यक्ति एक बचाव साक्षी है वहां अभियोजन का अधिवक्ता या बचाव अधिवक्ता, जैसी भी स्थिति हो, न्यायालय को उस व्यक्ति के स्थान, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किये जाने की उसकी इच्छा और समय, स्थान तथा ऐसे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि करेगा। यदि समन्वयक निजी व्यक्ति है ना कि आधिकारिक।

12.6 यदि परीक्षण किया जाने वाला व्यक्ति एक अभियुक्त है, तो अभियोजन दूरस्थ स्थल पर अभियुक्त के स्थान की पुष्टि करेगा।

12.7 वीडियो कान्फ्रेंसिंग आमतौर पर न्यायालयीन समय के दौरान होगी। तथापि, न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग के समय और कार्यक्रम के संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है जैसी की परिस्थितियों में आवश्यक है।

12.8 यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है और न्यायालय स्थल में उपस्थित नहीं है, तो न्यायालय गवाह के बयान अभिलिखित करने की सुविधा के लिए (चिकित्सा या अन्य विशेषज्ञ सहित) स्वयं, गवाह और अभिरक्षा में अभियुक्त के बीच बहुस्थलीय वीडियो कान्फ्रेंसिंग का आदेश करेगा। न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त की प्रतिरक्षा किसी भी रूप से प्रभावित नही होती है और नियम 8.3 में दिये गये सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता है।

12.9 दूरस्थ स्थल पर समन्वयक को ऐसी राशी का भुगतान मान देय के रूप में किया जायेगा जैसा कि न्यायालय द्वारा पक्षकारों से परामर्श करके निर्देशित किया जायेगा।

13. वीडियो कान्फ्रेंसिंग का व्यय

संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के अभाव में, न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग की लागत निर्धारित और/या विभाजित करते समय निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कर सकता है :–

13.1 अपराधिक मामलों में, वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा का खर्च न्यायालय के अभिलेख का साफ्टकॉपी तैयार करने/प्रमाणित प्रतिलिपियां तैयार करने और उसे दूरस्थ स्थल पर समन्वयक को भेजने, और अनुवादक/दुभाषिया/विशेष शिक्षक, जैसी भी स्थिति हो, सहित दूरस्थ स्थल पर समन्वयक को देय शुल्क भी ऐसे पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा जिसे कि न्यायालय निर्देशित करे।

13.2 सिविल मामलों में, सामान्यतया, खर्च उस पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा जिसने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करने का निवेदन किया है।

13.3 उपरोक्त के अलावा, न्यायालय, खर्च/व्यय के संबंध में शिकायतकर्ता और गवाहों को भुगतान किये जाने वाले खर्च के संबंध में समय–समय पर इस हेतु प्रचलित नियमों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है।

13.4 न्यायालय को यह छूट होगा कि वह विद्यमान परिस्थिति में खर्च को माफ कर सके।

14. कार्यवाही का संचालन

14.1 सभी अधिवक्ता, आवश्यक व्यक्ति, पक्षकार स्वयं और/या कोई अन्य व्यक्ति जिन्हें न्यायालय ने

भौतिक या आभासी रूप से उपस्थित रहने की अनुमति दी है (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से प्रतिभागियों के रूप में संदर्भित), अनुसूची 1 में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

14.2 वीडियो कान्फ्रेंसिंग शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। तथापि, यदि एक प्रतिभागी अपने चेहरे या नाम पर नकाब लगाने का इच्छुक है तो इस आशय की जानकारी न्यायालय स्थल पर समन्वयक को कार्यवाही शुरू होने से पूर्व देनी होगी।

14.3 न्यायालय स्थल समन्वयक लिंक/मीटिंग आई0 डी0/कक्ष का विवरण ऐसे अधिवक्ता या आवश्यक व्यक्ति या अन्य प्रतिभागी जिन्हें न्यायालय द्वारा आभासी रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गयी है, के द्वारा प्रदत्त ई–मेल आई0 डी0/मोबाईल नंबर पर भेजेगा। एक बार कार्यवाही आरंभ हो जाने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को आभासी सुनवाई में न्यायालय की अनुमति के बिना भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

14.4 प्रतिभागी, सुनवाई में शामिल होने के पश्चात् तब तक आभासी लॉबी, यदि उपलब्ध हो, में बने रहेंगे जब तक कि न्यायालय स्थल पर समन्वयक उन्हें आभासी सुनवाई में शामिल नही कर लेता है।

14.5 कार्यवाही में सहभागिता वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित किये जाने वाले कार्यवाहियों में प्रतिभागियों की सहमति का गठन करेगा।

14.6 न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल के बीच लिंक की स्थापना और विच्छेद न्यायालय के आदेशों से विनियमित होगा।

14.7 न्यायालय इस बात की स्वयं संतुष्टि करेगा कि अधिवक्ता, आवश्यक व्यक्ति या कोई अन्य प्रतिभागी जिसे न्यायालय आवश्यक समझता है दूरस्थ स्थल या न्यायालय स्थल पर स्पष्ट रूप से देखे और सुने जा सकते हैं तथा न्यायालय उनको स्पष्ट रूप से देख और सुन सकता है।

14.8 यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग का संचालन निर्बाध रूप से किया जाता है, कनेक्टिविटी के संबंध में यदि कठिनाइयों का अनुभव किया जाता है, तो इसे जल्द ही न्यायालय स्थल समन्वयक के आधिकारिक ई–मेल एड्रेस और मोबाईल नंबर जिसे आभासी सुनवाई के शुरू होने से

पहले प्रतिभागी को दिया गया है, के माध्यम से न्यायालय के संज्ञान में लाना होगा। पश्चातवर्ती किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

14.9 जहां कहीं भी न्यायालय द्वारा इन नियमों के अधीन वीडियो कान्फ्रेंसिंग का सहारा लेकर कोई कार्यवाही की जाती है, तो इसका उल्लेख आदेशपत्र में विशेष रूप से किया जायेगा।

15. विधिक सहायता क्लीनिक/शिविर/लोक अदालत/जेल अदालत में प्रवेश

15.1 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और प्रवृत्त विधि के प्रावधानों के अनुरूप विधिक सहायता क्लीनिकों, शिविरों, लोक अदालतों, जेल अदालतों से संबंधित कार्यवाहियों में कोई व्यक्ति जो दूरस्थ स्थल पर जेल या कैद में है उसका परीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष/सचिव या लोक अदालत के सदस्यों द्वारा विधि अनुसार किसी अवार्ड या आदेश पारित करने से पहले की जायेगी।

15.2 ऐसे अवार्ड या आदेश का वही प्रभाव होगा जैसा कि यह नियमित लोक अदालत या जेल अदालत द्वारा पारित किया गया हो।

15.3 अवार्ड या आदेश की प्रति और कार्यवाहियों का अभिलेख दूरस्थ स्थल को भेजा जायेगा।

16. ऐसे व्यक्ति जो प्रकरण के पक्षकार नहीं है, को कार्यवाहियों को देखने की अनुमति प्रतिभागियों की संख्या की सीमा के अधीन दिया जायेगा।

16.1 खुली अदालत की आवश्यकता का पालन करते हुए ऐसी कार्यवाहियों के सिवाय जिन्हें लिखित में दर्ज कारणों के लिए जज के निजी कक्ष में आयोजित करने का आदेश दिया गया हो, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित न्यायालय की सुनवाई को देखने के लिए जनता को अनुमति दिया जायेगा। न्यायालय कार्यवाही की पहुंच के लिए पर्याप्त लिंक (उपलब्ध बैंडविड्थ के अनुरूप) उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

16.2 जहां, किसी भी कारण से, प्रकरण से असंबद्ध एक व्यक्ति दूरस्थ स्थल पर उपस्थित है, तो ऐसे व्यक्ति की पहचान दूरस्थ स्थल पर समन्वयक द्वारा कार्यवाही के आरम्भ में की जायेगी और उस

व्यक्ति की उपस्थिति के उद्देश्य से न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। ऐसा व्यक्ति न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर ही उपस्थित रहना जारी रखेगा।

16.3 न्यायालय की सहमति के उपरांत, समन्वयक प्रतिभागियों को सीमित कर सकता है। ताकि वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

अध्याय – 5
विविध

17. शब्दों और अभिव्यक्तियों का संदर्भ :–

इन नियमों में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है और उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में दिया गया है।

18. छूट प्रदान करने की शक्ति

यदि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि किसी नियम का संचालन अनुचित कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, तो आदेश द्वारा ऐसी सीमा तक और ऐसे शर्तों के अधीन जो कि प्रकरण में न्याय संगत और साम्यपूर्ण तरीके से कार्यवाही करने के लिए निर्धारित किये जाएं, उस नियम की आवश्यकता से अभिमुक्ति या छूट प्रदान कर सकता है।

19. अवशिष्ट उपबंध

ऐसे विषय जिनके संबंध में इन नियमों में कोई प्रावधान नही किया गया है, न्यायालय द्वारा न्यायहित के अग्रसरण के सिद्धांत के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

अनुसूची – 1

1. सभी प्रतिभागी कार्यवाही की गरिमा के अनुरूप सामान्य पोषाक पहनेंगे। अधिवक्तागण, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारित पेशेवर पोषाक उचित रूप से पहनेंगे। पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारियों के लिए सुसंगत विधि या आदेशों के तहत निर्धारित वर्दी में उपस्थित होंगे। न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय के कर्मचारियों के लिए पोशाक उच्च न्यायालय द्वारा इस हेतु निर्धारित सुसंगत नियमों के अनुसार निर्दिष्ट किया जायेगा। ड्रेस कोड के संबंध में पीठासीन न्यायाधीश या अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

2. कार्यवाही निर्धारित तिथि और समय पर आयोजित किया जायेगा। समय की पाबंदी का सतर्कतापूर्वक ध्यान रखा जाएगा।

3. न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण आहूत किया जायेगा और उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

4. प्रत्येक प्रतिभागी को भौतिक न्यायालय में अनुसरण किये जाने वाले शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। न्यायाधीशों को "मैडम/महोदय" या "यूअर ऑनर" के रूप में सम्बोधित किया जायेगा। अधिकारियों को उनके पदनाम जैसे "बेंच ऑफिसर/कोर्ट मास्टर" से सम्बोधित किया जाएगा। अधिवक्तागण को "विद्वान अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता" के रूप में सम्बोधित किया जायेगा।

5. अधिवक्तागण, आवश्यक व्यक्ति, पक्षकार और अन्य प्रतिभागी अपने माइक्रोफोन को उस समय तक बंद रखेंगे जब तक उन्हें निवेदन करने बुलाया जाता है।

6. दूरस्थ उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उपकरण मालवेयर (वायरस) से मुक्त हैं।

7. दूरस्थ उपयोगकर्ता और दूरस्थ स्थल पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि दूरस्थ स्थल शान्त स्थान पर स्थित है, उचित रूप से सुरक्षित है और वहां पर पर्याप्त इंटरनेट कवरेज है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान होने वाली किसी भी अनअपेक्षित गड़बड़ी (बाधा) के लिए यदि पीठासीन न्यायाधीश ऐसा निर्देशित करे तो कार्यवाही शून्यवत हो सकती है।

8. सभी प्रतिभागियों को कार्यवाही के दौरान न्यायालय कक्ष में सेल फोन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9. सभी प्रतिभागियों को यह प्रयास करना चाहिए कि कार्यवाही के दौरान वे कैमरे में देखें, चौकस रहें और

किसी अन्य गतिविधि में संलग्न ना हों।

अनुसूची – 2
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध पत्र

1. प्रकरण क्रमांक/सी0 एन0 आर0 नंबर (यदि कोई हो)

2. कॉस टाइटिल

3. कान्फ्रेंसिंग की प्रस्तावित तिथि (दिनांक/माह/वर्ष) :_____

4. न्यायालय का स्थान :_____

5. दूरस्थ बिन्दु का स्थान :_____

6. दूरस्थ बिन्दू पर प्रतिभागियों के नाम और पदनाम :_____

7. वीडियो कान्फ्रेंसिंग के कारण :_____

के विषय में :

8. कार्यवाही की प्रकृति : अंतिम सुनवाई ☐ प्रारंभिक सुनवाई ☐ अन्य ☐

मैं वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए नियमों के प्रावधानों को पढ़ और समझ लिया हूं (हाईपरलिंक) । मुझे लागू सीमा तक मैं उनसे बंधे रहने का वचन देता हूँ। मैं न्यायालय द्वारा निर्देशित वीडियो कान्फ्रेंसिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ। आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर : दिनांक :

रजिस्ट्री/दूरस्थ बिन्दु समन्वयक के उपयोग के लिए :
क. नियत न्यायालय :
ख. सुनवाई : आयोजित दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष) आरंभ का समय

समाप्ति का समय

घंटो की संख्या

ग. व्यय :

ओवरसीज ट्रांसमिशन शुल्क, यदि कोई हो :

आवेदक/उत्तरवादी द्वारा उपगत :

समान रूप से वहन किया जाना :

न्यायालय के आदेशानुसार माफ किया गया :

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

दिनांक :

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार

हस्ता/-

(दीपक कुमार तिवारी)

भारसाधक रजिस्ट्रार जनरल.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.